


फर्द अहकाम

वालू १११० बनाम लुमेर खिटे

यालय

आ ११ ५०५५ २८/२०२३

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
५/१/२५	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील डायरी उपस्थित। इलकाद का अन्तिम रूप के निस्तारण किया जा युक्त है। एक प्रो.आई. अर्चना पत्र का आगे चलाने के लिए कोई भी प्रमाण नहीं रखा जाता है अतः अर्चना पत्र प्रो.आई. के खारिज किया जाता है। पत्रावली के लिये शुभ्राट डेक दर्ज नम्बर के कम है, वाड तकरीब डायरी दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी जबपुर द्वितीय (सतगानेर)</p>	

